आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 16 लखनऊ, मंगलवार 28 जुलाई 2026 सा 06 अगस्त 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

४१ पीसीएस अफसरों के तबादले, लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट भी बदले, शासन ने जारी किए आदेश

लखनऊ। शासन ने प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के ४१ अधिकारियों के तबादले किए हैं। स्थानांतरित अधिकारियों में अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और विकास प्राधिकरणों में विशेष कार्याधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं। उक्त क्रम में ही ज्ञानचंद्र गुप्ता सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बस्ती, जबकि जगमोहन गुप्ता को उपजिलाधिकारी एटा से सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ बनाया गया है। तबादला सूची के अनुसार महेंद्र कुमार सिंह को अयोध्या विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी पद से नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी बनाया गया है। बिंदुलता को उपजिलाधिकारी जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कानपुर नगर, संजय चावला को उपजिलाधिकारी आजमगढ़ से अपर जिलाधिकारी

(प्रशासन) आजमगढ़ तथा कुंवर पंकज को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोबा से अपर आयुक्त झांसी मंडल बनाया गया है। इंद्र नंदन सिंह को नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोबा और महिपाल सिंह को उप्र. सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक पद से नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर भेजा गया है। विनय कुमार मिश्र को उपजिलाधिकारी चंदौली से सहकारी चीनी मिल संघ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है। सूची में आगे कई अधिकारियों को अपर जिलाधिकारी, अपर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट और उपजिलाधिकारी के पदों पर नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा संजीव कुमार दीक्षित को उपजिलाधिकारी कानपुर नगर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण का विशेष कार्याधिकारी, सुशांत श्रीवास्तव को उपजिलाधिकारी औरैया से उपजिलाधिकारी बागपत तथा राजेश कुमार वर्मा को उपजिलाधिकारी अलीगढ़ से उपजिलाधिकारी चंदौली के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए लोगों को दिया भरोसा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में आए फरियादियों को भरोसा दिया कि हर समस्या का उचित और निष्पक्षता से

समाधान किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, योगी ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' के दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां आए लोगों से कहा कि आप परेशान कतई न हों, सरकार हर समस्या का निष्पक्ष समाधान कराएगी। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए। बयान के अनुसार, अपराध व जमीन पर कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

पेपर लीक मामले पर लखनऊ विश्वविद्यालय में बवाल, छात्रों ने विपक्ष से पूछे तीखे सवाल

लखनऊ। पेपर लीक के मुद्दे पर सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय का माहौल उस समय गर्मा गया, जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके चलते हल्की धक्का–मुक्की की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे पर केवल चुनिंदा राज्यों में ही आवाज उठाता है, जबकि गैर–एनडीए सरकारों वाले राज्यों में सामने आए मामलों पर चुप्पी साध लेता है। जंतर–मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन समाप्त होने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बाद अब पेपर लीक का मुद्दा नई राजनीतिक दिशा में बढ़ता दिख रहा है। इसी क्रम में छात्रों के समूह ने गैर–भाजपा शासित राज्यों में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंजाब, कर्नाटक और भी कई सारे राज्य हैं जहां पेपर लीक हो रहा है, तो अब वहां भी इस्तीफे होने चाहिए क्योंकि

तभी न्याय होगाय नहीं तो विपक्ष न्याय की बात करना छोड़ दे। दोपहर करीब १२ बजे बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर–१ (आजाद द्वार) पर एकत्र हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी परिसर से बाहर निकलकर मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का–मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की भी कोशिश की, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ही रोक दिया। घ्रदर्शन में शामिल छात्र आलोक मिश्रा ने कहा कि जिन राज्यों में कथित तौर पर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, वहां के शिक्षा मंत्रियों को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि विपक्ष यदि छात्रों के हितों की बात करता है तो उसे सभी राज्यों के मामलों पर समान रूप से आवाज उठानी चाहिए। छात्र जतिन शुक्ला ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक दलों का रुख निष्पक्ष होना चाहिए। उनका कहना था कि यदि किसी राज्य में ऐसी घटना होती है तो उस पर समान रूप से प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। वहीं छात्र अनुरान ने भी कहा कि विपक्ष को गैर–एनडीए शासित राज्यों में सामने आने वाले पेपर लीक मामलों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए, जितनी अन्य राज्यों के मामलों में दिखाई जाती है।

गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने रिहा करने का अनुरोध किया है। सलेम ने याचिका में दावा किया है कि उसने भारत में जेल में २५ साल पूरे कर लिए हैं, जैसा कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों में तय किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ बंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल केआदेश को चुनौती देने वाली सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सलेम ने याचिका में दावा किया कि उसकी तुरंत रिहा करने की याचिका 'समय से पहले' और 'गलत आधार पर आधारित' बताकर खारिज कर दी गई थी। मुंबई में १९९३ के सिलसिलेवार धमाकों के दोषी सलेम को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ११ नवंबर, २००५ को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण की जो शर्तें तय हुई हैं, उनके अनुसार सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकती और उसे अधिकतम २५ साल कारावास की सजा हो सकती है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सलेम के अधिवक्ता से सवाल किया, '' आपने (सलेम ने) २५ साल कैसे पूरे किए हैं?'' इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को कारावास में अच्छे व्यवहार के लिए दो साल और नौ महीने से अधिक की छूट मिली है। उन्होंने जिरह के दौरान कहा कि सलेम जेल में २५ साल से अधिक समय बिता चुका है जिसमें सुनवाई के दौरान और सजा सुनाए जाने के बाद कारावास में बिताया गया समय शामिल है। साथ ही अच्छे व्यवहार के कारण भी सजा में कुछ समय की छूट मिली है। पीठ ने इस पर अधिवक्ता से सवाल किया, ''क्या आप विस्तृत फैसला चाहते हैं या इसे सीधे खारिज करवाना चाहते हैं? इसपर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत फैसला चाहते हैं। पीठ ने इसके बाद टिप्पणी की, ''फैसला सुरक्षित किया जाता है।

सम्पादकीय

'२०५० का खतराः तापमान बढ़ा तो हर साल ४.३० लाख मौतों की आशंका'

जलवायु परिवर्तन का संकट पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसकी सबसे भयावह कीमत गरीब और विकासशील देशों को चुकानी पड़ सकती है। एक नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बढ़ते तापमान के कारण वर्ष २०५० तक हर साल लगभग ४.३० लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। इनमें करीब दस गुना अधिक मौतें उन गरीब देशों में होने की आशंका है, जहां भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त शीतलन सुविधाएं और ऊर्जा संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) के अंतर्गत कार्यरत 'क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब' की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में आर्थिक असमानता सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। विकसित देश बढ़ते तापमान के बीच एयर कंडीशनिंग और अन्य शीतलन साधनों का विस्तार कर सकेंगे, लेकिन गरीब देशों की बड़ी आबादी इन जीवनरक्षक सुविधाओं से वंचित रह सकती है। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के सह–संस्थापक और शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा है कि एयर कंडीशनिंग केवल आराम का साधन नहीं, बल्कि गर्मी से होने वाली मौतों को रोकने का महत्वपूर्ण उपाय है। लेकिन जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान देने वाले गरीब देश ही इसके सबसे गंभीर दुष्परिणाम झेलेंगे। यही वैश्विक जलवायु संकट की सबसे बड़ी विडंबना है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वर्षों में मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक विकास और ऊर्जा मांग बढ़ने के कारण शीतलन सुविधाओं का विस्तार संभव होगा। वहीं निम्न आय वाले देशों में बिजली की खपत में वृद्धि इतनी सीमित रहने का अनुमान है कि वह केवल एक एलईडी बल्ब को कुछ महीनों तक जलाने जितनी होगी। अध्ययन में ऐसे १८ देशों की पहचान की गई है, जहां लगभग ६७.६ करोड़ लोग भीषण गर्मी और शीतलन सुविधाओं की कमी के दोहरे संकट से जूझ सकते हैं। अनुमान है कि वर्ष २०५० तक इन क्षेत्रों में हर साल करीब ३.७७ लाख लोगों की मौत केवल बढ़ते तापमान और ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण हो सकती है। इनमें अधिकांश क्षेत्र नाइजर, माली, बुर्किना फासो, चाड जैसे अफ्रीकी देशों और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा म्यांमा जैसे दक्षिण एशियाई देशों में हैं। यह स्थिति बताती है कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़ा वैश्विक संकट है। विडंबना यह है कि जिन देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है, वही देश गर्मी के सबसे गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। इसके विपरीत खाड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने अपनी आर्थिक क्षमता के कारण बड़े पैमाने पर शीतलन सुविधाएं विकसित की हैं। वहां तापमान अधिक होने के बावजूद गर्मी से होने वाली मौतों का खतरा अपेक्षोंत कम रहने की संभावना है। अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति में केवल उत्सर्जन कम करने पर ही नहीं, बल्कि गरीब देशों को ऊर्जा, स्वास्थ्य और अनुकूलन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी समान जोर दिया जाए। सस्ती और भरोसेमंद बिजली व्यवस्था, हरित तकनीक और प्रभावी आपदा प्रबंधन ही आने वाले दशकों में लाखों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जलवायु संकट मानवता के सामने समान चुनौती है, लेकिन इसके प्रभाव समान नहीं हैं। इसलिए दुनिया को विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ जलवायु न्याय के सिद्धांत को भी अपनी प्राथमिकता बनाना होगा।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत १० अगस्त तक बढ़ाई गई

अयोध्या। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले के सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक स्थानीय विशेष अदालत ने सोमवार को १४ दिनों के लिए बढ़ा दी। बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी। बचाव पक्ष के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) रजत वर्मा ने आरोपियों को जिला जेल से वस्तुतः अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत १० अगस्त तक बढ़ा दी। ये आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं। पुलिस जांच के तहत उनसे पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ कर चुकी है। यह मामला अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाये गये चढ़ावे के कथित गबन से संबंधित है।

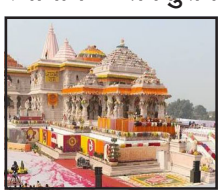

कांवड़ यात्रा को लेकर यूपीएसआरटीसी की तैयारी तेज, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें

लखनऊ। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ३० जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। साथ ही यात्रा की निगरानी के लिए २४ घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निगम की बसों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय पर कांवड़ यात्रा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक २४ घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए जाएंगे। यहां यात्रा से जुड़ी सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की जरूरत के अनुसार

अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्गों पर स्थित बस स्टेशनों पर पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, साफ–सफाई, पूछताछ केंद्र, ध्वनि प्रसारण प्रणाली और खान–पान की सुविधाएं सुचारु रूप से उपलब्ध रहें। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी बसों की गति निर्धारित सीमा में रखी जाएगी और चालकों का अनिवार्य रूप से ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराया जाएगा। चालकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधकों को मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों की बैठकों में शामिल होकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। रूट डायवर्जन और यातायात व्यवस्था की जानकारी सभी संबंधित क्षेत्रों तक तत्काल पहुंचाने के लिए व्ह ट्सएप ग्रुप, दूरभाष और अन्य संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि निगम की बसों के संचालन से कांवड़ यात्रा किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो और बसें केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों पर ही संचालित की जाएं।

स्मार्ट मीटर योजना उपभोक्ताओं के हित में नहीं, परिषद ने सीएम से की हस्तक्षेप की अपील

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना एक बार फिर विवादों में है। बिजली उपभोक्ताओं की लगातार ओवर बिलिंग की शिकायतों और तकनीकी खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर की कमियों पर जताई गई नाराजगी का स्वागत करते हुए योजना को तत्काल रोकने और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की आरडीएसएस (त्वै) योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए ६१८,८८५ करोड़ की मंजूरी दी गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका टेंडर करीब ६२७,३४२ करोड़ में जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यदायी संस्थाओं की मांग पर परफ मैंस बैंक गारंटी को १० प्रतिशत से घटाकर ३ प्रतिशत कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद तकनीकी खामियों में कोई सुधार नहीं हुआ। परिषद का कहना है कि प्रदेशभर से स्मार्ट मीटरों में ओवर बिलिंग और तकनीकी गड़बड़ियों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उनका आरोप है कि यह योजना न तो बिजली उपभोक्ताओं के हित में है और न ही राज्य के बिजली क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हो रही है। परिषद ने कहा कि स्मार्ट मीटरों से जुड़ी समस्याओं के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर योजना की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही परिषद ने सरकार से अपील की है कि उपभोक्ताओं के हित में इस योजना को तत्काल रोका जाए। परिषद ने यह भी मांग की है कि ओवर बिलिंग और तकनीकी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कंपनियों के खिलाफ केवल औपचारिक नहीं, बल्कि प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जाए।

अब दिव्यांगों को नहीं होगी परेशानी, आरटीओ में व्हीलचेयर सेवा शुरू

लखनऊ। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), ट्रांसपोर्ट नगर ने दिव्यांगजनों की सुविधा और सम्मानजनक सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कार्यालय परिसर में व्हीलचेयर सुविधा शुरू कर दी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट और अन्य परिवहन संबंधी कार्यों के लिए आने वाले दिव्यांगजन बिना किसी असुविधा के कार्यालय के विभिन्न काउंटरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह पहल संभागीय निरीक्षक प्रशांत कुमार की पहल पर शुरू की गई है। कार्यालय में उपलब्ध कराई गई व्हीलचेयर के माध्यम से दिव्यांगजन न केवल भवन के भीतर सहजता से आवागमन कर सकेंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय के कर्मचारी उन्हें एक काउंटर से

दूसरे काउंटर तक पहुंचाने में भी सहयोग करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुगम, सम्मानजनक और जनहितैषी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी सोच के तहत दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। आरटीओ ट्रांसपोर्ट नगर में शुरू की गई यह व्यवस्था दिव्यांगजन अनुकूल प्रशासन की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। इससे न केवल दिव्यांगजनों की समस्याओं में कमी आएगी, बल्कि कार्यालय की समावेशी और नागरिक–केंद्रित कार्यशैली भी मजबूत होगी। यह पहल इस संदेश को भी सशक्त करती है कि सरकारी सेवाएं हर नागरिक तक समान रूप से, सहजता और सम्मान के साथ पहुंचनी चाहिए।

अमीनाबाद में नकली दवाओं के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, पांच कारोबारियों पर एफआईआर

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में नकली दवाओं के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की जांच में सामने आया कि रद्द हो चुके औषधि लाइसेंस, जीएसटी नंबर और फर्जी बिलों के जरिए नामी कंपनियों की कथित नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। मामले में पांच कारोबारियों के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफएसडीए के औषधि निरीक्षक संदेश मौर्य ने बताया कि १२ जुलाई २०२५ को जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की ओर से क्लॉप–जी क्रीम के नकली उत्पाद की शिकायत मिली थी। आरोप था कि अमीनाबाद स्थित शिव शक्ति मेडिकल से प्रयागराज की जीवेश ड्रग एजेंसी को नकली दवा की आपूर्ति की गई। शिकायत के बाद औषधि निरीक्षक संदेश मौर्य और विवेक कुमार सिंह ने जांच शुरू की। शुरुआती निरीक्षण में फर्म बंद मिली। बाद में जांच के दौरान फर्म संचालक दवाओं की खरीद से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर ५ जनवरी २०२६ को सहायक आयुक्त औषधि ने फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया। एफएसडीए के अनुसार, लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद शिव शक्ति मेडिकल के नाम से दवाओं की खरीद–बिक्री जारी रही। इसी दौरान गाजियाबाद से सूचना मिली कि ग्लेनमार्क कंपनी के टेल्मा–एएम और टेल्मा–एच ब्रांड की कथित नकली दवाएं बरामद हुई हैं, जिनकी आपूर्ति शिव शक्ति मेडिकल के नाम से जारी फर्जी इनव इस

के जरिए की गई थी। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और जीएसटी रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जांच में यह भी सामने आया कि दवाओं से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और बैच डिटेल्स डिलीट कर दिए गए थे, जिससे कथित जीएसटी चोरी और फर्जी लेनदेन को छिपाया जा सके। एफएसडीए की जांच में फर्म संचालक कपिल जायसवाल ने बताया कि उन्होंने १८ हजार रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि इसी के एवज में विद्या फार्म के संचालक प्रियांशु पाल और उनके भाई सुधांशु पाल ने उनके रद्द लाइसेंस, जीएसटी नंबर और सॉफ्टवेयर आईडी–पासवर्ड का इस्तेमाल कर फर्जी बिल तैयार किए। इसके बदले उन्हें तीन से १८ प्रतिशत तक नकद कमीशन दिया जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, बंद या बिना भंडारण वाली दवा फर्मों के लाइसेंस और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर फर्जी सेल्स इनव इस तैयार किए गए और कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य दवाओं की सप्लाई की गई। २४ जुलाई को विद्या फार्मा का निरीक्षण किया गया, जहां कोई दवा नहीं मिली। हालांकि मौके से एक लैपटॉप जब्त किया गया, जिसे जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। आरएन फार्मा भी बंद मिली। कैसरबाग पुलिस ने औषधि निरीक्षक की तहरीर पर शिव शक्ति मेडिकल के संचालक कपिल जायसवाल, मीत इंटरप्राइजेज के मालिक हरमीत सिंह, प्रियांशु पाल, आरएन फार्मा के संचालक साहिल जैदी और आबिद अली अतहर के खिलाफ नकली दवाओं के कारोबार, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफएसडीए का दावा है कि अमीनाबाद की कई दवा फर्मों के माध्यम से एक संगठित नेटवर्क फर्जी सेल्स इनव इस तैयार कर नकली और अमानक दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। जांच में बिना बिल दवाओं की खरीद, बंद फर्मों के लाइसेंस और सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग तथा जीएसटी चोरी के भी साक्ष्य मिलने की बात कही गई है।

फाल्कन और टीएफए (ए) की शानदार जीत, जिला फुटबॉल लीग में दिखाया दम

लखनऊ। लखनऊ जिला फुटबॉल लीग में फाल्कन क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरए ब्व यज क्लब को ४–० से करारी शिकस्त दी। चौक स्टेडियम में रविवार को

खेले गए मुकाबलों में फाल्कन क्लब के अलावा टीएफए (ए) ने भी जीत दर्ज कर लीग में अपनी स्थिति मजबूत की। मुकाबलों के दौरान भारतीय फुटबॉल टीम के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आकाश मिश्रा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। पहले मुकाबले में फाल्कन क्लब ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। तेज काउंटर अटैक के दम पर टीम ने आरए ब्वॉयज क्लब पर दबाव बनाए रखा। फाल्कन की ओर से अमन ने २२वें मिनट में पहला गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद महज दो मिनट बाद संजय ने शानदार फिनिशिंग करते हुए स्कोर २–० कर दिया। इसके बाद भी फाल्कन का हमला जारी रहा। देवेश ने २८वें मिनट में तीसरा गोल किया, जबकि निशंक ने ३५वें मिनट में गोल दागकर टीम की ४–० की जीत पक्की कर दी। दिन के दूसरे मुकाबले में टीएफए (ए) ने रोमांचक मुकाबले में मिलानी क्लब को ४–२ से मात दी। मिलानी क्लब ने मैच की शुरुआत शानदार तरीके से की और अनिकेत (६वें मिनट) तथा जिया (१२वें मिनट) के गोल की बदौलत शुरुआती बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद टीएफए (ए) ने जबरदस्त वापसी की। टीएफए (ए) के अबुजर ने ३८वें और ६२वें मिनट में दो गोल कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं इशान ने ५०वें मिनट और आदि ने ५८वें मिनट में गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। लखनऊ जिला फुटबॉल लीग के अगले मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे। पहला मैच टेक्ट्रो क्लब और बिग ब्लू क्लब के बीच होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में आरबीआई क्लब और लखनऊ एरो क्लब आमने–सामने होंगे।

केजीएमयू में हेपेटाइटिस वायरल लोड जांच ठप

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में हेपेटाइटिस वायरल लोड जांच एक बार फिर ठप हो गई है। जांच किट उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को मजबूरी में निजी पैथोल जी केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां उन्हें जांच के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है। केजीएमयू में प्रतिदिन करीब ४० से ५० मरीजों की हेपेटाइटिस वायरल लोड जांच लिखी जाती है। नोडल सेंटर होने के कारण आसपास के कई जिलों से भी सैंपल जांच के लिए यहां भेजे जाते हैं। इसके चलते संस्थान की लैब में रोजाना करीब ७० से ६० सैंपल की जांच होती थी। चिकित्सकों के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों के इलाज में वायरल लोड जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर दवाओं की डोज तय करते हैं और इलाज की प्रभावशीलता की निगरानी करते हैं। जांच में देरी होने से मरीजों के उपचार पर असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जांच के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से बजट उपलब्ध कराया जाता है। बजट मिलने में देरी के कारण जांच किट की आपूर्ति प्रभावित हुई और लैब में किट खत्म हो गई। इसके बाद ओपीडी में सैंपल कलेक्शन रोक दिया गया और विभागों को भी नए सैंपल नहीं लेने के निर्देश दिए गए। जांच बंद होने से मरीजों को निजी केंद्रों पर जाना पड़ रहा

है, जहां उन्हें वायरल लोड जांच के लिए २५०० से ३५०० रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह अतिरिक्त बोझ बन गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता ड . केके सिंह ने बताया कि जांच किट की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले माह से वायरल लोड जांच दोबारा शुरू करा दी जाएगी, जिससे मरीजों को हो रही परेशानी दूर हो सके।

एक लाख रिश्वत लेते वरिष्ठ लेखा लिपिक गिरफ्तार

लखनऊ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा सोमवार को इंटर कॉलेज की भूमि अधिग्रहण के मामले में ऑडिट किए जाने के एवज में एक लाख रुपये रिश्वत मांगने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फतेहपुर जिले के खागा के रहने वाले अभय प्रताप सिंह ने शिकायत की थी कि इंटर कॉलेज की भूमि अधिग्रहण के नेशनल हाईवे से प्राप्त धनराशि से कराए गए निर्माण कार्य के ऑडिट किए जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग की जा रही है। शिकायत पर निरीक्षक अंजली यादव के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने समर चाट भंडार के पास

से रवींद्र प्रताप सिंह (वरिष्ठ लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग फतेहपुर) को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है।

बंद मिली समितियां, निजी दुकानदार भागे

लखनऊ। कृषि विभाग ने उर्वरक बिक्री और उपलब्धता जांचने के लिए छापेमारी की तो मोहनलालगंज में दो सहकारी समितियां बंद मिली। जबकि दो निजी विक्रेता सूचना पाकर दुकानें बंद करके भाग गए। जिन्हें नोटिस जारी किया गया। टीम ने चार उर्वरकों के नमूने लेकर दो विक्रेताओं की बिक्री रोक दी। दो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने रविवार को मोहनलालगंज क्षेत्र में सहकारी व निजी १० उर्वरक दुकानों पर जांच की। मैसर्स रईस अहमद ट्रेडर्स सिसेंडी से गड़बड़ी की आशंका पर मोनो जिंक का नमूना लिया। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति भौदरी सिसेंडी और बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति भौदरी गौतमखेड़ा बंद मिली। इसके अतिरिक्त मैसर्स अतीक अहमद खाद स्टोर सिसेंडी के गोदाम से दो उर्वरक के नमूने लिए। साथ ही स्टाक का बिल, चालान, उपलब्धता व बिक्री भंडार के रिकार्ड न होने पर बिक्री प्रतिबंधित कर दी। मैसर्स रामा कन्सट्रशन भीलमपुर व मैसर्स बिक्की खाद भंडार निगोहा जानकारी होने पर दुकान बंद कर भाग गए। दोनों विक्रेताओं की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए नोटिस जारी किया। वहीं, मैसर्स जायसवाल बर्तन एवं खाद स्टोर गोदाम से उर्वरक का एक नमूना लिया गया। भंडारण की मात्रा, बिक्री के बिल, चालान आदि न होने पर बिक्री रोक दी गई।

गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन, सीएम योगी करेंगे विशेष पूजा और सहभोज में होंगे शामिल

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ २६ जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। वह एक ओर अपने ब्रह्मलीन गुरुजनों का पूजन एवं वंदन करेंगे, वहीं दूसरी ओर गोरक्षपीठ के साधु–संतों, शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पाती लिखी थी, जिसमें गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया था। गुरु पर गोरक्षपीठाधीश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ सहित पीठ के पूर्ववर्ती गुरुजनों की पूजा–अर्चना करते हैं और परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ २६ जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। नाथपंथ में गुरु और ईश्वर को अभिन्न माना गया है। इसी कारण गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का आयोजन विशेष श्रद्धा और वैदिक विधि–विधान के साथ किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रातःकाल महायोगी गुरु गोरखनाथ का विशेष पूजन करेंगे तथा परंपरा के अनुसार उन्हें रोट अर्पित करेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित देवी–देवताओं के विग्रहों और नाथपंथ के गुरुजनों की समाधियों पर विशेष पूजा–अर्चना की जाएगी, जिसका समापन सामूहिक आरती से होगा। आनुष्ठानिक कार्यक्रमों के उपरांत गोरक्षपीठाधीश्वर अपने शिष्यों एवं श्रद्धालुओं के बीच पहुंचेंगे। शिष्य तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद आशीर्वचन तथा सहभोज (भंडारा) का आयोजन होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर २३ जुलाई से गोरखनाथ मंदिर में चल रही सप्तदिवसीय श्रीरामकथा की पूर्णाहुति भी संपन्न होगी। गोरक्षपीठ में गुरु–शिष्य परंपरा को नाथपंथ की मूल आधारशिला माना जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ से प्रारंभ हुई यह परंपरा ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज से होते हुए वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ तक निरंतर आगे बढ़ी है। गोरक्षपीठ की गुरु परंपरा केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित

नहीं रही, बल्कि लोककल्याण के विविध क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ। महंत दिग्विजयनाथ महाराज ने वर्ष १६३२ में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की। उनके उत्तराधिकारी महंत अवेद्यनाथ महाराज ने शिक्षा, चिकित्सा और योग सेवा के प्रकल्पों का विस्तार किया। वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने इन लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, योग और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में गोरक्षपीठ की गतिविधियों का व्यापक विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय संसेंति में गुरु को साक्षात् परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और गुरु–शिष्य परंपरा देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण आधार है। सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम संवत २०८३ की आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला यह पर्व महर्षि वेदव्यास की स्मृति को समर्पित है। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि संस्कार, सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले होते हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और शिक्षकों के सम्मान तथा कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक ऑनलाइन चिकित्सा योजना का विस्तार किया गया है, जिससे बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा संस्थानों के लाखों शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और उनके आश्रित लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा कवर की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव बनाए रखने तथा उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरु जीवन में सही दिशा दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सत्य, संस्कार और सफलता प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि गुरुजनों के आदर्शों का अनुसरण करने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का लक्ष्य भी साकार होगा।

सहारनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी को फोन पर गालियां और जान से मारने की धमकी, प्राथमिकी दर्ज

सहारनपुर। सहारनपुर जिले में जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) नीरज सिंह को फोन पर कथित तौर पर गालियां और जान से मारने की धमकी देने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। सदर बाजार के थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि डीएसओ नीरज सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया है कि २५ जुलाई की रात करीब ६रू३० बजे सुरेंद्र सिंघल नामक एक व्यक्ति ने उनके सीयूजी नंबर पर फोन किया और कहा कि उसके बेटे को पिछले आठ महीने से राशन वितरण कोटे का कमीशन नहीं मिला है। हरीर के अनुसार इस पर नीरज सिंह ने कहा कि रात काफी हो चुकी है और वह कार्यालय में नहीं हैं, इसलिए सोमवार को संबंधित दस्तावेज लेकर वह कार्यालय आएं, कंप्यूटर पर रिकॉर्ड देखकर समस्या का समाधान किया जाएगा। डीएसओ का आरोप है कि यह सुनते ही फोन करने वाला नाराज हो गया और फोन पर ही गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। नीरज सिंह ने कहा कि वह एक लोकसेवक हैं और इस तरह के अभद्र व्यवहार से वह मानसिक रूप से परेशान हैं। इसे उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास बताया। डीएसओ ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव, कॉल डिटेल और स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं। थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने कहा कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कॉल के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है तथा जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन से सुर्खियों में आए मोहम्मद इरफान से की मुलाकात

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर नीट प्रश्नपत्र लीक विरोधी प्रदर्शन के दौरान बहुत ही मार्मिक अंदाज में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुर्खियों में आए युवक मोहम्मद इरफान से सोमवार को मुलाकात की और कहा कि इस युवक का नजरिया बताता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं में बसती है। गांधी ने इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच उनके हालात की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा, ''संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नजरिया और सीखने की उसकी इच्छा यही

बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताकघ्त उसके युवाओं में बसती है।'' गांधी ने कहा कि इरफान जैसे लाखों युवा देश की असली उम्मीद हैं और वे जिज्ञासु, संवेदनशील तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। राहुल गांधी ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। दिल्ली के जंतर–मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद इरफान अपने बेबाक, संवेदनशील और जमीनी बयानों के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए। झुग्गी–बस्ती से आने वाले इरफान ने अपने अनुभवों और संघर्षों के आधार पर मेहनतकश मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे अहम मुद्दों को बेहद प्रभावशाली ढंग से उठाया था।

डीपफेक मामलाः नितिन गडकरी को मेटा, एक्स और गूगल पर मुकदमा दायर करने की बंबई हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनके खिलाफ अपलोड किए गए ''मानहानिकारक'' डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)–जनित पोस्ट को लेकर मेटा मंच, एक्स कॉर्प, गूगल एलएलसी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी वाद दायर करने की सोमवार को अनुमति दे दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता गडकरी ने 'लेटर्स पेटेंट' के खंड–१२ के तहत अनुमति याचिका दायर की थी। यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, जिसके तहत यदि किसी वाद का कारण उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होता है, तो मुकदमा दायर करने से पहले अदालत से अनुमति लेना जरूरी होता है। ऐसी अनुमति आवश्यक होती है, ताकि अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बावजूद अदालत मुकदमे की सुनवाई कर सके और उसपर फैसला दे सके। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एकल पीठ के समक्ष सोमवार को गडकरी की अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई। गडकरी के वकील संदीप लड्ढा ने दलील दी कि ऑनलाइन मंचों ने कथित मानहानिकारक और डीपफेक सामग्री महाराष्ट्र के उपयोगकर्ताओं सहित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी। उन्होंने कहा कि चूंकि यह सामग्री राज्य में भी उपलब्ध है, इसलिए मुकदमे की कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र में भी उत्पन्न होता है। न्यायमूर्ति आहूजा ने दलीलें स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी को अ नलाइन मंचों के खिलाफ दीवानी वाद दायर करने की अनुमति दे दी। गडकरी ने अपने प्रस्तावित वाद में दावा किया है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के मुद्दे को लेकर इंटरनेट पर कई फर्जी,

एआई–जनित और मानहानिकारक सामग्री उपलब्ध हैं। प्रस्तावित वाद के अनुसार, अज्ञात लोगों ने ऐसी पोस्ट और डीपफेक सामग्री अपलोड एवं प्रसारित की, जिनमें उन्हें इस कार्यक्रम (इथेनॉल मिश्रित ईंधन) के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया है और यह झूठा दावा किया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक लाभ हुआ है। प्रस्तावित वाद में कहा गया है कि पोस्ट में लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे, दुर्भावनापूर्ण और घोर मानहानिकारक हैं तथा इनका उद्देश्य गडकरी के खिलाफ जनता में भ्रामक धारणा उत्पन्न करना है। गडकरी इस वाद के माध्यम से ऐसी फर्जी और झूठी सामग्री के प्रसार पर स्थायी रोक लगाने का आदेश चाहते हैं।

३७ दिन के CJP आंदोलन पर हुए 'गुप्त समझौते' का सच बताए मोदी सरकारः अखिलेश यादव की मांग

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को परीक्षा से जुड़े मुद्दों को संभालने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई से पता चलता है कि सरकार जनता की भावनाओं की परवाह नहीं करती। पार्टी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सिस्टम में सुधार किए बिना सिर्फ कड़े कानूनों से ही पेपर लीक को रोका जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन या तो सरकार की कोशिशों से खत्म हुआ या इसलिए कि सरकार ने छात्रों की मांगें मान लींय सरकार झुक गई है, इसलिए उसे उन खास बातों का खुलासा करना चाहिए जिन पर उसने सहमति जताई है। सरकार ने कहा था कि केस दर्ज नहीं किए जाएंगे, फिर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार में कई छात्रों को जेल भेज दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए SP प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह कई जगहों पर छात्रों और युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 'जन–चेतना' को चुनौती नहीं देनी चाहिए और साथ ही कहा कि बढ़ती जन–जागरूकता खुद सत्ताधारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने

कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता एक साथ बैठकर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इस बीच, वरिष्ठ SP नेता रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया कि क्या 'पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, २०२६' और नंदन नीलेकणि की अगुवाई में परीक्षा सुधारों पर एक हाई–पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का केंद्र का फैसला, अकेले ही पेपर लीक की समस्या को खत्म कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक या तो वहां होता है जहां प्रश्न–पत्र तैयार किया जाता है, या जहां उसे छापा जाता है, या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण चरण पर। जिन कोचिंग सेंटरों की पहुंच बहुत ज्यादा होती है, उनके अक्सर अंदरूनी इंतजाम होते हैं, वहीं से लीक की शुरुआत होती है। आप चाहे कितने भी कानून बना लें, ये गड़बड़ियां तब शुरू हुईं जब प्रक्रिया डिजिटल हो गईय डिजिटल युग से पहले ऐसी चीजें नहीं होती थीं। लीक करना या हैक करना बहुत आसान हो गया है। SP के एक और सीनियर नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बिल बहुत देर से आया है। उन्होंने कहा कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। इलाज से बेहतर बचाव है। अगर ऐसा कानून पहले होता, तो आत्महत्या करने वाले कई युवाओं की जान बचाई जा सकती थी। छात्रों ने जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, कई लोगों को चोटें आईं, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, विपक्ष के नेता को हिरासत में लिया गया। अगर यह कानून पहले आ गया होता, तो ऐसी घटनाएं शायद नहीं होतीं।

बिहार बंद के दौरान हिंसा के आरोप में ६९४ लोग हिरासत में, एसपी और बीडीओ समेत ९१ पुलिसकर्मी घायल

पटर्ना। बिहार पुलिस ने सोमवार को कहा कि पिछले सप्ताह नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में बुलाए गए राज्यव्यापी बंद के दौरान उसे जबरन लागू कराने के आरोप में कुल ६९४ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें लगभग आधे नाबालिग हैं। पुलिस मुख्यालय के बयान के अनुसार, २५ जुलाई को वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा में ६१ पुलिसकर्मी एवं कई अधिकारी तथा १३ आम नागरिक घायल हुए। बयान के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में से ३३६ नाबालिगों और छात्रों को आयु सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया, जबकि शेष ३५५ लोगों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में कथित संलिप्तता को लेकर अदालतों में मुकदमा चल रहा है। बयान में बताया गया कि बंद समर्थकों ने १३ सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की तथा एक अन्य सरकारी वाहन में आग लगा दी। हिंसा में घायल होने वालों में सिवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) तथा सिवान और सीतामढ़ी के एक–एक अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) भी शामिल हैं। बयान के अनुसार, सारण जिले में दो प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की एक आंख चली गई, जबकि दूसरे के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि दोनों बीडीओ का पटना के अलग–अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

नीट प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में हंगामा

दिल्ली। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक सोमवार को तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न करीब तीन बजे शाम सवा पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक २०२६ पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किए। लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा करने की अपील की। लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामा थमते नहीं देख उन्होंने बैठक शाम सवा पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी। यह विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जायेगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत १९७१ के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। इससे पहले इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक तीन बार स्थगित हुई। पूर्वाह्न ११ बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सदन की बैठक पहले दोपहर १२ बजे तक, फिर दोपहर दो बजे तक और उसके बाद अपराह्न तीन बजे तक के स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र २० जुलाई को शुरू हुआ और नीट प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह एक भी दिन सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाए।

जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, ३८ इमारतों का ध्वस्तीकरण अगले आदेश तक टला

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को थोड़ी राहत देते हुए, मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने सोमवार को यूनिवर्सिटी के खिलाफ तोड़–फोड़ के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। का आदेश दिया कि ३८ इमारतें बिना बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बनाई गई थीं। हालांकि, इस आदेश की वजह से उत्तर प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय

इसके साथ ही, जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाता, तब तक सभी प्रशासनिक कार्रवाई रुकी रहेगी। १५ जुलाई को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी की ४० में से ३८ इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। यह यूनिवर्सिटी रामपुर रेलवे स्टेशन से १२ किलोमीटर दूर है और इसे २००६ में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने शुरू किया था। यह कार्रवाई तब हुई जब एक स्थानीय जूनियर इंजीनियर ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना मंजूरी के किए गए निर्माण कार्यों के बारे में रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद, RDA ने यह कहते हुए इमारतों को गिराने अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और साथ ही सभी से यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात की और तोड़–फोड़ की कार्रवाई को रोकने की मांग की। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर पार्टी के ४५ विधायकों के हस्ताक्षर थे।

गौ सम्मान अभियान के तहत निकली भव्य यात्रा, गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी आवाज

सीतापुर। सोमवार को गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत गौभक्तों ने शहर में रैली निकालकर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग उठाई। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्ग 'गौमाता–राष्ट्रमाता' के जयकारों से गूंज उठे और बड़ी 'गौमाता–राष्ट्रमाता' लिखी हुई पट्टिकाएं भी थीं। गौ सम्मान आवाहन यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लालबाग चौराहे पहुंची और वहां से जिलाधिकारी कार्यालय पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान संगठन के पदाधिकारियों

संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व पशु सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ ने किया। वह बैलगाड़ी पर सवार होकर अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि उनके साथ बड़ी संख्या में गौभक्त पैदल चल रहे थे। प्रतिभागियों के हाथों में ने अपनी मांगों और विचारों को प्रशासन के समक्ष रखा। अभियान में बड़ी संख्या में गौभक्त और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकाली गई और गौ संरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

माफिया की संपत्तियां अब बनेंगी जनकल्याण का आधार, जब्त जमीनों पर विकसित होंगी सरकारी सुविधाएं

प्रयागराज। माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन लगातार अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में जब्त की गई इन संपत्तियों का उपयोग अब जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की मंशा है कि इन जमीनों पर भविष्य में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र समेत अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग आम जनता के हित में किया जाएगा। इसी दिशा में प्रयागराज प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन के अनुसार, माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ और उनके अन्य करीबी रिश्तेदारों से जुड़ी लगभग ३४५ करोड़ की अनुमानित संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें आवासीय मकान और विभिन्न स्थानों पर स्थित जमीनें शामिल हैं। तहसील सदर के एनुद्दीनपुर में अतीक अहमद की करीब १३,८०० वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली नौ जमीनें जब्त की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत ६.६६ करोड़ से अधिक बताई गई है। इसके अलावा कौशांबी की चायल

तहसील के रसूलाबाद उर्फ कोइलहा में लगभग १४,६०२ वर्गमीटर भूमि जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत २४ करोड़ है। वहीं फूलपुर तहसील के हवेलिया क्षेत्र में १८,२६० वर्गमीटर और ११,३०० वर्गमीटर के दो भूखंड जब्त किए गए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब १२३.२८ करोड़ बताई गई है। प्रशासन ने लखनऊ में भी लगभग ५,१६० वर्गमीटर भूमि जब्त की है। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में कई मकानों को भी जब्ती की कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। प्रशासन के मुताबिक, जब्ती के बाद नियमानुसार संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। राज्य सरकार में निहित होने के बाद इन जमीनों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। पूर्व में एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में माफिया और उसके करीबियों से कुर्क की गई लगभग ढाई हेक्टेयर जमीन को प्रस्तावित एयरोसिटी परियोजना के लिए उपयोग में लाने की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार में निहित होने के बाद आवश्यकतानुसार इन जमीनों को स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की नजर नीलेकणि टास्क फोर्स की सिफारिशों पर, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर मांगे नए सुझाव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (**NEET&UG**) २०२६ से जुड़े पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल की सिफारिशों पर नजर रखेगा। अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में नीट परीक्षा को पारंपरिक ऑफलाइन प्रणाली के बजाय ऑनलाइन आयोजित करने पर विचार किया जाता है, तो इसके लिए नए और प्रभावी सुझावों की आवश्यकता होगी। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने की स्थिति में साइबर सुरक्षा और डेटाबेस सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे। पीठ ने टिप्पणी की कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए पारंपरिक व्यवस्था से अलग सोच और आधुनिक समाधान अपनाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट राजद सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका ३ मई को आयोजित **NEET&UG** २०२६ परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराए जाने की घोषणा के बाद दायर की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। सरकार के अनुसार, इस उच्चस्तरीय कार्यबल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें ..नंदन नीलेकणी (अध्यक्ष), इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका,

आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामाकोटी पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल, लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई ३ अगस्त के लिए निर्धारित की है। इससे पहले १ जून को शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की उस मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें २१ जून को आयोजित पुनः परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (**CBT**) मोड में कराने का अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (**NTA**) ने १२ मई को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच ३ मई को आयोजित **NEET&UG** २०२६ परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद २१ जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (**CBI**) कर रही है।

रायबरेली बार चुनाव में सुरेशचंद्र यादव की जीत, महामंत्री पद पर संजय प्रताप सिंह का दबदबा

रायबरेली। सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में रविवार को देर रात तक चली मतगणना के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हो गया। कार्यकारिणी सदस्य तथा संयुक्त मंत्री पदों की मतगणना पूरी की गई। संयुक्त मंत्री के तीन पदों पर दिवाकर सिंह, नारायण स्वरूप

सबसे प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद पर सुरेशचंद्र यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शशिकांत पांडेय को ११७ मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। सुरेशचंद्र यादव को कुल ५८१ मत मिले, जबकि शशिकांत पांडेय को ४६४ मत प्राप्त हुए। महामंत्री पद पर भी मुकाबला एकतरफा रहा। संजय प्रताप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ६४० मत हासिल किए और अपने प्रतिद्वंद्वी संजीव कुमार शुक्ला, जिन्हें २५० मत मिले, को ३९० मतों के भारी अंतर से पराजित किया। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। दीवानी परिसर में मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी कर विजेताओं का स्वागत किया गया। बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और गहमागहमी के बीच मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पांडेय और विपुलेश श्रीवास्तव निर्वाचित घोषित किए गए। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के छह पदों पर मीना कुमारी, अशोक कुमार चौधरी, नीरज श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार सिंह, उदय प्रताप सिंह और इरशाद अहमद खान ने जीत दर्ज की। वहीं कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के छह पदों पर विनोद कुमार मौर्य, विवेक सिंह, आकाश सोनकर, गौरव शर्मा, अभय सिंह और हिमांशु शर्मा निर्वाचित हुए। अन्य प्रमुख पदों में अनूप कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष के दो पदों पर संतोष कुमार शुक्ला और संजय शर्मा विजयी रहे, जबकि सचिन श्रीवास्तव कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। पूरे दिन अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों की निगाहें अध्यक्ष और महामंत्री पद के परिणाम पर टिकी रहीं। देर रात तक दीवानी परिसर में चुनावी सरगर्मियां बनी रहीं। चुनाव अधिकारियों ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान और मतगणना संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि नई कार्यकारिणी के अधिकांश पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन कोषाध्यक्ष पद के लिए आगामी १ अगस्त को मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद नई कार्यकारिणी पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगी।

श्रद्धा सिंह हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के चर्चित श्रद्धा सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी महंथ को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में पेश किया। प्रभारी न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने जगबरन यादव, सुभाष सिंह, जयकरन और महंथ के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद सुभाष सिंह और जयकरन के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बाद में अभियोजन की अर्जी पर अदालत ने जगबरन यादव और महंथ को भी विचारण के लिए तलब किया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बल्दीराय पुलिस ने फरार आरोपी महंथ को देहली बाजार से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वर्तमान में मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में चल रही है। अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते

हुए मामले की अग्रिम सुनवाई नियत कर दी। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी संजय सिंह एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि मामला वर्ष २०२० का है। मृतका की मां अर्चना देवी ने २२ सितंबर २०२० को बल्दीराय थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि उनकी १६ वर्षीय पुत्री श्रद्धा सिंह के हाथ–पैर और मुंह बांधकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। गंभीर रूप से झुलसी किशोरी की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

युवाओं की उड़ान को मिलेगा नया आसमान, MY भारत अभियान से जुड़ेगा खीरी का युवा वर्ग

लखीमपुर खीरी। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने MY भारत अभियान को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट स्थित अटल

सभागार में सोमवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की बैठक डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने, वार्षिक कार्ययोजना बनाने और विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्यक्रमों के संचालन पर मंथन हुआ। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। युवाओं को सही मंच, सही अवसर और सकारात्मक दिशा उपलब्ध कराकर उन्हें समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मेरा युवा भारत पोर्टल पर अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण कराया जाए और इसके उद्देश्य व लाभों की जानकारी गांव–गांव, स्कूल–कॉलेजों युवा संगठनों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि MY भारत केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि युवाओं को सेवा, नेतृत्व, कौशल विकास और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और युवा समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले प्रत्येक युवा कार्यक्रम को संबंधित विभागों के सहयोग और बेहतर समन्वय के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नवाचार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक का संचालन करते हुए जिला युवा अधिकारी, माय भारत संकल्प शुक्ला ने बैठक की आवश्यकता और प्रासंगिकता बताई। बैठक में MY भारत की आगामी कार्ययोजना, युवाओं को जोड़ने की रणनीति, स्वयंसेवी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और विभिन्न विभागों की सहभागिता पर अधिकारियों ने विचार रखे। इस अवसर पर सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता, डीपीआरओ विशाल सिंह, डीआईओएस विनोद कुमार मिश्र, लेखाधिकारी, (माय भारत) पारुल सहित विभिन्न विभागों के जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला परिषद की बैठक, आगामी कार्यक्रमों को मिली मंजूरी

लखीमपुर खीरी। प्रादेशिक मुख्य आयुक्त ड .प्रभात कुमार के निर्देशन में भारत स्काउट एंड गाइड की जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम एवं परिषद

की अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने की। बैठक की शुरुआत स्काउट प्रार्थना के साथ हुई और सभी सदस्यों व स्काउट–गाइड पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। डीएम ने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड केवल एक संगठन नहीं, बल्कि बच्चों में सेवा, संस्कार, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाला सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सक्रिय स्काउट–गाइड के माध्यम से जनहित के संदेश सीधे समाज तक पहुंचाए जा सकते हैं। डीएम ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे स्काउट–गाइड से जुड़कर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें। उन्होंने कहा कि यह मंच बच्चों को अनुशासित, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। स्काउट–गाइड की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए हुई थी, वे पूरी निष्ठा के साथ साकार हों, यही शुभकामना है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि स्काउट–गाइड के छात्र अनुशासन, सेवा और नेतृत्व के प्रतीक हैं। उनकी भागीदारी से समाज में जनजागरूकता के अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकते हैं। बैठक में वर्ष २०२५–२६ के आय–व्यय अनुमोदन, वार्षिक आयव्यय प्रस्तुतीकरण, वर्ष २०२६–२७ के प्रशिक्षण व कार्यक्रमों के अनुमोदन समेत कुल ०३ एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा और अनुमोदन किया गया। जिला कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक का संचालन जिला सचिव डॉ केसी मिश्रा एवं पर्यवेक्षण सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त लखनऊ मंडल गरिमा पाल ने किया। उन्होंने बैठक की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। बैठक में सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र, डीआईओएस विशाल सिंह, स्काउट सचिव केसी मिश्र, जिला प्रशिक्षण आयुक्त बीडी भार्गव सहित परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने स्काउट–गाइड गतिविधियों के विस्तार और सामाजिक अभियानों में सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया।

मार्टिन पुरवा में मेधावी सम्मान समारोह, शिक्षा और सामाजिक समरसता पर दिया गया जोर

लखनऊ। राजधानी के हजरतगंज स्थित मार्टिन पुरवा में डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकता मंच के ७वें स्थापना दिवस के अवसर पर 'मेध

ावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया। समारोह में बोर्ड परीक्षा (१०वीं एवं १२वीं) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले २७ मेधावी छात्र–छात्राओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पत्रकारों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं और समाजसेवियों को 'लोक शक्ति सम्मान' से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, सामाजिक एकता और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों की सराहना की गई। समारोह में उत्तर प्रदेश पावर क र्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के पूर्व उप महाप्रबंधक जे.पी. शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ (भारत) के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सिंह और प्रदेश महामंत्री रंजीत सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व, सामाजिक समरसता और युवाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में निष्ठा यादव, मोहनी, हीना बनो, तनु यादव, यास्मीन बानो, संसेंति, विमलेश, अक्सा, अंतिमा, राजा यादव, मनीष कुमार, फैजान अली, मुजीब अहमद, यश चांदूरा, रवि यादव और शिवम यादव सहित कुल २७ मेधावी छात्र–छात्राएं शामिल रहे। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री सूरज कुमार गौतम, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, संघमित्रा रावत, पत्रकार सुनील रैदास, सुनील यादव, सुमित रावत, मो. अबरार, मो. अंसार, अनिल चौधरी, वैभव गौतम, सुरेंद्र कुमार, संजीता, मीरा देवी, सरोज देवी, अभिनव चौधरी, निहारिका, हिना बानो, यासमीन बानो और ख्याति रावत सहित सैकड़ों स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और समाज के विकास में योगदान देने के संदेश के साथ हुआ।

नकहा पुलिस चौकी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, गुमशुदा मोबाइल ढूंढकर मालिक को सौंपा

लखीमपुर खीरी। जनपद में कानून व्यवस्था के साथ–साथ जनसेवा में जुटी थाना खीरी की नकहा पुलिस चौकी की टीम ने एक बार फिर सराहनीय कार्य किया है। पुलिस टीम ने एक व्यक्ति का खोया हुआ मोबाइल फोन अथक प्रयासों के बाद सकुशल बरामद कर उसके असली मालिक को सौंप दिया है।जानकारी के अनुसार हरदोई जिले के रहने वाले सत्य प्रकाश का मोबाइल फोन पिछले दिनों कहीं खो गया था। मोबाइल गुम होने से परेशान पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम को मिली सफलता,सूचना को गंभीरता से लेते हुए नकहा चौकी प्रभारी सत्येन्द्र वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में शामिल कांस्टेबल सचिन यादव और कांस्टेबल चेतन सिंह ने कड़ी मेहनत और सर्विलांस की मदद से मोबाइल को ढूंढ निकाला।मालिक के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पुलिस को दिया धन्यवाद,पुलिस टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरामद मोबाइल फोन को उसके असली मालिक सत्य प्रकाश के सुपुर्द कर दिया। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर सत्य प्रकाश के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने नकहा पुलिस टीम की तत्परता और कार्यशैली की जमकर सराहना की और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद दिया।

लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे पर सियासी घमासान, पूर्व एमएलसी ने गुणवत्ता और टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल

लखनऊ। लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता और टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश विधान

परिषद के पूर्व सदस्य और विनियमन समीक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से बनी इस महत्वपूर्ण परियोजना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में दीपक सिंह ने मांग की है कि लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना में खर्च किए गए जनता के धन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच आवश्यक है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए निर्माण एजेंसी पीएनसी से जुड़े कथित राजनीतिक संबंधों और हितों के टकराव के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। दीपक सिंह ने पत्र में टेंडर और ठेका प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना से जुड़े कुछ पहलुओं की निष्पक्ष समीक्षा जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता या प्रभाव का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि परियोजना में शामिल अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाए। पूर्व एमएलसी ने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे जनता के धन से बनी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए इसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।

यूपी में पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों का हिसाब मांगा, सूचना विभाग ने सभी जिलों से तलब की 17 वर्षों की रिपोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रदेशभर के सभी मंडलीय एवं जिला सूचना अधिकारियों से मान्यता प्राप्त पत्रकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। अपर निदेशक अरविन्द कुमार मिश्र की ओर से जारी पत्र में सभी जिलों को २८ जुलाई २०२६ की शाम ५रू०० बजे तक हर हाल में विस्तृत रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है। विभाग ने वर्ष २००८ से २०२५ तक जिला मुख्यालयों के मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों की एक संस्थान से दूसरे संस्थान में हुई मान्यता स्थानांतरण की वर्षवार जानकारी मांगी है। इसके साथ ही वर्ष २००६ से २०२५ के बीच जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर दर्ज सभी मुकदमों का वर्षवार विवरण भी तलब किया गया है। इतना ही नहीं, विभाग ने वर्ष २०१६ से अब तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होने के आधार पर कितनी पत्रकार मान्यताएं निरस्त की गईं, इसकी भी विस्तृत जानकारी मांगी है। सूचना विभाग के इस निर्देश को पत्रकारों से संबंधित रिक र्ड की व्यापक समीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। विभाग ने सभी मंडलीय और जिला सूचना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा के भीतर मांगी गई सूचनाएं ष्प्रत्येक दशा मेंष् उपलब्ध ा कराई जाएं। सूचना विभाग के इस कदम के बाद अब प्रदेशभर के जिलों से मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों, मान्यता स्थानांतरण और निरस्तीकरण से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जिससे आगामी नीति या प्रशासनिक निर्णयों के लिए एक समेकित डाटाबेस तैयार होने की संभावना मानी जा रही है।

मां के साथ तस्वीर साझा कर सनी देओल का भावुक संदेश, 'बंटवारा १९४७' हर मां को समर्पित

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा १९४७' के ट्रेलर रिलीज से पहले मां प्रकाश कौर के साथ एक भावुक तस्वीर साझा कर फिल्म को अपनी मां और दुनिया की हर

मां को समर्पित किया है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी और राजकुमार संतोषी निर्देशित 'बंटवारा १९४७' इस वर्ष की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा में सनी देओल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के पोस्टर और टीजर पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता जगा चुके हैं। सनी देओल ने सोशल मीडिया पर मां के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "मेरी मां ही मेरा रब हैं। मेरा प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत। बंटवारा १९४७ मैं अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं। ट्रेलर कल रिलीज होगा। उन्होंने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से बिना किसी कट के 'ए' प्रमाणपत्र मिलने पर भी खुशी जताई। सनी ने कहा कि इंसानियत और प्यार की कहानी कहने वाली इस फिल्म को दर्शक १४ अगस्त से सिनेमाघरों में देख सकेंगे। फिल्म 'बंटवारा १९४७' भारत के बंटवारे के दर्द, उससे जुड़े मानवीय जज्बातों, प्रेम, साहस और त्याग की कहानी को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करेगी। फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। करीब ३० वर्ष बाद निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सफल जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। आमिर खान और अपर्णा पुरोहित द्वारा निर्मित 'बंटवारा १९४७' १४ अगस्त २०२६ को विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

हर चुनौतीपूर्ण किरदार में छा रहे बॉबी देओल, आगामी फिल्मों को लेकर बढ़ी उत्सुकता

मुंबई। अभिनेता बॉबी देओल इन दिनों अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। लगातार अलग–अलग और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाकर वह दर्शकों के साथ–साथ फिल्म समीक्षकों की भी खूब सराहना बटोर रहे हैं। हाल ही

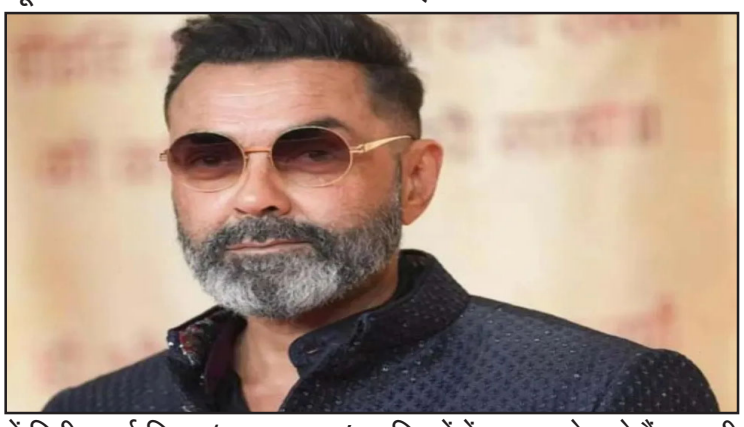

में रिलीज हुई फिल्म 'जन नायकन' में भी उन्होंने अपनी प्रभावशाली मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान खींचा है। इससे पहले फिल्म 'एनिमल' में अबरार हक के किरदार के जरिए बॉबी देओल ने अपनी दमदार अभिनय क्षमता का परिचय दिया था। सीमित स्क्रीन टाइम होने के बावजूद उनके प्रदर्शन को दर्शकों ने काफी पसंद किया और उनकी भूमिका लंबे समय तक चर्चा में रही। इसके बाद 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी बॉबी देओल ने अपने अलग अंदाज से दर्शकों को प्रभावित किया। अब थलपति विजय के साथ फिल्म 'जन नायकन' में उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। आने वाले समय में बॉबी देओल कई अलग–अलग शैलियों की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। उनकी आगामी फिल्मों में श्बंदरश और 'अल्फा' शामिल हैं, जिनमें उनके किरदारों को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। 'एनिमल' से लेकर 'जन नायकन' तक बॉबी देओल ने यह साबित किया है कि वह हर नए किरदार में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्मों और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक